भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/09 अग्रहायण, 1937 (शक)

खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रमिक

170. श्री रावसाहेब पाटील दानवे:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्रीमती वी. सत्यबामा:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक व्यवसाय में चौदह वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक को प्रतिबंधित करने वाले कठोर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के रहने के बावजूद बीड़ी उद्योगों सहित खतरनाक कारखानों में बच्चों का शोषण किया जा रहा है और क्या उक्त कानून देश में केवल 20 प्रतिशत बाल श्रमिक पर ही प्रतिबंध लगाता है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिया है कि वे आवधिक रूप से इसकी जांच और सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिक को काम में न लगाया जाए और राज्यों को यह भी अनुदेश दिया है कि बाल श्रमिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पृथक निगरानी निकाय का गठन करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बचाए गए बाल श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं साथ ही खतरनाक स्थिति में कार्य कर रहे बच्चे/ बंधुआ बाल श्रमिक जैसे सबसे खराब बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है तथा जहाँ बच्चे निषिद्ध न हों, वहाँ रोजगार में उनके कार्य की दशा को विनियमित करता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, पान, बीड़ी और सिगरेट सहित निषिद्ध

व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित पाए गए बच्चों की संख्या अनुबंध में दी गई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े 5-14 वर्ष के आयु समूह के मुख्य कामगारों के वर्ग में 43.53 लाख तक की कमी दर्शाते हैं।

(ख): बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए 2012 में राज्य सभा में विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने संशोधन विधेयक में अधिकारिक संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन विधेयक सहित अधिकारिक संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण निषेध तथा निषेध की आयु को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से जोड़ना शामिल है।

(ग): केन्द्रीय सरकारी स्थापनों, रेलवे, मुख्य पत्तनों, खानों या तेल क्षेत्रों के संबंध में बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम का प्रवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है तथा अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार है। अधिनियम के अनुसार, समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षकों को नियुक्त कर सकती है।

(घ): राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आरंभ किए गए अभियोजनों के विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अभियोजन
2012	4731
2013	4899
2014	3340

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत काम से बचाए/छुड़ाए गए, पुनर्वास कराए गए तथा मुख्य-धारा में लाए गए बच्चों की संख्या इस प्रकार है:

2012-13	72976
2013-14	64050
2014-15	116957

सरकार ने देश में बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है। बचाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए, सरकार 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, बंधुआ श्रमिक प्रणाली(उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा समस्त देश में बंधुआ श्रमिक प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, मुख्य बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास सीधा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दायित्व है।

*

अनुबंध

दिनांक 30.11. 2015 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 170 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2001 की जनगणना के अनुसार निषिद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित पाए गए बच्चों की संख्या के विवरण:

क्रम सं.	व्यवसाय और प्रक्रियाओं का नाम	नियोजित बच्चों की संख्या
1.	पान, बीड़ी और सिगरेट	252574
2.	निर्माण	208833
3.	घरेलू कामगार	185505
4.	कताई/बुनाई	128984
5.	ईंट-भट्टे, टाइलें	84972
6.	ढ़ाबे/रेस्तरां/होटल/मोटल	70934
7.	ऑटो-वर्कशॉप, वाहनों की मरम्मत	49893
8.	रत्नों का कटाव, आभूषण	37489
9.	कालीन-बनाना	32647
10.	सेरामिक	18894
11.	अगरबत्ती, धूप और डिटर्जेंट बनाना	13583
12.	अन्य*	135162
	योग	**1219470**

*ढलाईखाने, बूचड़खाने, प्लास्टिक एकक, रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या डाक का परिवहन, राख एकत्र करना, साबुन विनिर्माण, चर्म शोधन, ताले बनाना, कागज बनाना, टायर बनाना और मरम्मत करना, रंग और रंग सामग्री का विनिर्माण, काजू और काजू की गिरी निकालना और संसाधित करना आदि।

******